बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक/अन्य राजस्व/2018/ दिनांक –

नीलामी सूचना

बीकानेर नगर निगम द्वारा निम्नानुसार फसलों एवं हरे चारे का उत्पादन कार्य के लिए मुरलीधर व्यास नगर स्लेज वाटर ठेका खुली नीलामी द्वारा दिनांक 16-7-18 को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक नगर निगम के मुख्य कार्यालय में आयोजित किया जायेंगा। खुली नीलामी दिनांक को अंतिम उच्चतम बोली स्वीकार योग्य प्राप्त न होने की स्थिति में आगामी तिथि को बोली निरंतरता में जारी रहेगी।

क.स.	ठेके का नाम	अवधि	धरोहर राशि	आरक्षित दर
01.	मुरलीधर व्यास नगर स्लेज वाटर ठेका	01.08.2018 से 31.07.2021 तक। तीन वर्ष (प्रथम वर्ष खुली नीलामी के आधार पर + दो वर्ष नवीनीकरण के आधार पर)	20,000/–	3,00,000/–

इच्छुक बोलीदाता धरोहर राशि जमा करवाकर नीलामी दिनांक को दोपहर 3:00 बजे तक जरिये बैंकर चैक/डी.डी./नगद नगर निगम में जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकता है। अन्तिम व उच्चतम बोलीदाता को नीलामी की 1/2 राशि नीलामी समाप्ति पर उसी दिन निगम कोष में जमा करवानी होगी। नीलामी शर्ते व अन्य विवरण नीलामी दिनांक तक किसी भी कार्यदिवस में निगम कार्यालय में कक्ष नं. 23 व निगम की वेबसाइट www.bikanermc.org में देखी जा सकती है। नीलामी के संबंध में बीकानेर नगर निगम का निर्णय अन्तिम होगा।

-Sd-
(डॉ. प्रदीप के.गावंडे) IAS
आयुक्त

NOT TO BE PUBLISHED

क्रमांक – अन्य राजस्व/2018 19009-18 दिनांक – 10-7-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

01. माननीय महापौर महोदय, नगर निगम बीकानेर।
02. श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर।
03. श्रीमान् सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
04. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना का कम से कम स्पेस में नियमानुसार सर्वाधिक प्रसारित होने वाले बीकानेर संस्करण के एक क्षेत्रीय मुख्य दैनिक सामाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय मुख्य समाचार–पत्र के बीकानेर संस्करण में दिनांक 11.07.18 से पूर्व प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें तथा प्रकाशन उपरान्त समाचार पत्र की तीन प्रतियां एवं विपत्र भुगतान हेतु बीकानेर नगर निगम को भिजवाने का श्रम करवायें।
05. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), नगर निगम बीकानेर।
06. मुख्य लेखाधिकारी को भेजकर लेख है कि नीलामी दिनांक को खुली नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा उक्तानुसार जमा कराई जाने वाली धरोहर राशि को नियमानुसार जमा करवाने की व्यवस्था करें।
07. उपविधि परामर्शी/राजस्व अधिकारी प्रथम/सचिव, नगर निगम बीकानेर।
08. निजी सहायक नगर निगम बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नीलामी दिनांक को नीलामी कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाने एवं आवश्यकतानुसार माईक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें।
09. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रकाशन करावें।
10. वरिष्ठ लिपिक अन्य राजस्व अनुभाग बीकानेर नगर निगम को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना को निगम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।

(डॉ. प्रदीप के.गावंडे) IAS
आयुक्त

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

मुरलीधर व्यास नगर स्लेज वाटर ठेके की शर्ते

मुरलीधर व्यास नगर स्लेज वाटर ठेके के द्वारा फसलों एवं हरे चारे के उत्पादन कार्य के लिए ठेके की शर्ते :–

1. बोलीदाता भारतीय संविदा अधिनियम के तहत संविदा निष्पादन करने में सक्षम होना चाहिए।
2. बोलीदाता किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/निगम/परिषद् द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
3. मुरलीधर व्यास नगर स्लेज वाटर ठेके के द्वारा फसलों एवं चारे के उत्पादन कार्य के लिए अवधि तीन वर्ष (प्रथम वर्ष खुली नीलामी के आधार पर+दो वर्ष नवीनीकरण के आधार पर) के लिये मान्य होगी।
4. ठेके के लिए खुली नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक बोली दाता को धरोहर राशि 20,000/– (बीस हजार रुपये) नगर निगम कोष में जमा कराने होगे। उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि बोलीदाता को ठेका अवधि समाप्त होने के पश्चात ही लौटाई जावेगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि 15 दिवस के पश्चात् लौटाई जायेगी। अन्य बोलीदाताओं को धरोहर राशि नीलामी के पश्चात् वापस कर दी जावेगी। नीलामी की अन्तिम व उच्चतम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
5. नीलामी के पश्चात् उच्चतम बोली स्वीकृत होने की स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को बोली की 1/2 राशि नीलामी समाप्ति पर उसी दिन निगम कोष मे जमा करनी होगी तथा शेष 1/2 राशि ठेका स्वीकृती की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा कराने में असफल रहने पर बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी। ऐसे बोलीदाता को पुनः नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. संवेदक द्वारा प्रथम वर्ष की समस्त राशि जमा करवाए जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष की नीलामी राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि कर द्वितीय वर्ष हेतु नवीनीकरण राशि की गणना की जायेगी। इसी भाँति तृतीय वर्ष हेतु नवीनीकरण के लिए द्वितीय वर्ष की नवीनीकरण की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जावेगी। इस प्रकार द्वितीय व तृतीय वर्ष ठेका नवीनीकरण के लिए गणना की गई धन राशि संवेदक द्वारा क्रमशः प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की ठेका अवधि समाप्त होने के दो माह पूर्व जमा करवाई जानी होगी अन्यथा निगम धरोहर राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
7. संवेदक द्वारा नियमानुसार देय राशि नियम समय अवधि के पश्चात् जमा कराने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।
8. संवेदक को मौके की यथास्थिति सुपुर्द करने पर समस्त दायित्व एवं देखरेख का जिम्मा संवेदक का होगा।
9. यह है कि स्लेज वाटर के उपयोग एवं वितरण का अधिकार ठेकेदार का होगा। वह अपनी कृषी भूमि तक अपने खर्चे से एवं कच्ची नालियां बनाकर पानी ले जावेगा। इस प्रकार का काई तकनीकी कार्य अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता (निर्माण) नगर निगम बीकानेर से संपर्क कर इनकी राय के अनुसार करना होगा।
10. अधिशेष पानी (सरप्लस वाटर) को उपयोग एवं उपभोग करने के लिए नगर निगम का पूर्णतया/एकान्तिक अधिकार (Absolute Right) होगा।
11. संवेदक द्वारा ठेका अन्य किसी व्यक्ति को किराया या हस्तान्तरण (सबलेट) नही करेगा। इसका उल्लंघन करने पर संविदा भंग मानते हुए सिविल न्यायालय में कार्यवाही हेतु निगम स्वतंत्र है।
12. इस स्लेज वाटर का उपयोग फसले एवं पशुओ के हरे चारे के उत्पादन के अतिरिक्त किसी अन्य उत्पादन में लिया जाना वर्जित है।
13. संवेदक को 15 दिवस में नियमानुसारअनुबंध करना अनिवार्य होगा। अनुबंध का समस्त खर्च संवेदक को वहन करना होगा।

14. निगम अधिकारियो द्वारा किसी भी समय स्लेज फार्म का निरीक्षण लिया जा सकता है। जिसके आदेशो की अनुपालना संवेदक द्वारा की जायेगी।
15. संवेदक द्वारा मूल संरचना से किसी भी प्रकार की छेडछाड न हो व निगम सम्पति को कोई नुकसान न पहुंचे इसकी देख–रेख का समस्त दायित्व अधिशाषी अभिंयता/सहायक अभियंता नगर निगम बीकानेर का होगा।
16. ठेके की अवधि में संवेदक या संवेदक के अन्य कोई व्यक्ति द्वारा स्लेज वाटर का दुरूपयोग/खुर्दबुर्द करने पर पूर्णतया प्रतिषेध है एवं इस शर्त का उल्लंघन करने पर पुलिस एंव कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
17. नगर निगम द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश संवेदक को दिये जायेंगे उनकी पालना संवेदक द्वारा करनी होगी।
18. संवेदक पर स्लेज वाटर की आपूर्ति किसी भी अन्य भू–भाग/अन्य काश्तकार को खेती हेतु व अन्य कार्यो के लिए किसी व्यक्ति को देने पर प्रतिबंध रहेगा एवं इस शर्त का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही के लिए निगम स्वतंत्र रहेगा ।
19. संवेदक एस.टी.पी पर उपलब्ध स्लेज वाटर का फसलो एवं चारे के उत्पादन कार्य के लिये उपभोग करेगा एवं किसी एक जगह स्लेज वाटर रोक कर प्रदूषण नही करेगा। इस स्लेज वाटर का उपभोग सब्जी उत्पादन के लिए वर्जित रहेगा ।
20. संवेदक द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निगम द्वारा सात रोज का नोटिस दिया जाकर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ठेके बाबत् समस्त जमाशुदा राशि जब्त कर पुनः नया ठेका देने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी ।
21. विवादक स्थिति के लिए न्यायिक क्षेत्र बीकानेर शहर होगा।

राजस्व अधिकारी प्रथम **नगर निगम बीकानेर**	**उपविधि परामर्शी** **नगर निगम बीकानेर**	**मुख्य लेखाधिकारी** **नगर निगम बीकानेर**	**उपायुक्त** **नगर निगम बीकानेर**